न्यायालय उपखंड अधिकारी निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ (राज.)

पीठासीन अधिकारी :— विकास पंचोली (R.A.S.)

प्रकरण संख्या 157 / 2024
जीसीएमएस न0 2024 / 566

1. श्री कैलाश पिता राधेश्यामजी कुलमी निवारी कैली तह० निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ।
— प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज०
— विपक्षी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131,136 भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :— 1— श्री मदनलाल चपलोत — अधिवक्ता प्रार्थी।
2— पेरोकार सरकार — स्वयं उपस्थित

:: निर्णय ::

दिनांक 08.10.2024

1. प्रकरण में संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 131,136 भू राजस्व अधिनियम 1956 का पेश कर निवेदन कि प्रार्थी के खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजियात वाके मौजा कैली प०ह० कैली तह० निम्बाहेडा की आराजी नं0 725मी रकबा 0.2500 हैक्टेयर भूमि स्थित होकर प्रार्थी ने उक्त आराजियात को कृषि भूमि से अकृति प्रयोजनार्थ रुपातरीक करवाया जिसके आदेश क्रमांक राज / 201 / 1066 से 68 दिनांक 19 / 07 / 2016 से रुपांतरीत करवाई गई।

2. वादग्रस्त आराजियात प्रार्थी के स्वत्व स्वामित्व की होकर उक्त भूमि पूराने नक्शा ट्रेस में सही रुप से तरमीम थी, परन्तु नवीन नक्शा ट्रेस में राजस्व कर्मचारियों की गलती की वजह से उक्त आराजी नं0 725 के स्थान पर आराजी नं0 2605 / 725 को अंकित कर दिया है तथा आराजी नं0 2605 / 725 के स्थान पर आराजी नं0 725 को अंकित कर दिया हैं जो राजस्व कर्मचारियों की गलती की वजह से हुआ हैं। इसलिए प्रार्थी की आराजियात को मौके पर काबिज अनुसार एवं राजस्व रेकार्ड में दर्ज अनुसार, नवीन नक्षा ट्रेस व राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज दुरुस्ती किया जाना न्यायहित में आवश्यक है।

3. प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी के खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी को प्रार्थी के मौके पर काबिज अनुसार, एवं राजस्व रेकार्ड में दर्ज अनुसार, नवीन नक्षा ट्रेस व राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज दुरुस्त कर तरमीम किये जाने की कृपा करावें। ताईद मे शपथ पत्र पेश है।

4. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर्ड किया गया, विपक्षी को जरिये सूचना पत्र तलब किया गया, विपक्षी तहसीलदार निम्बाहेडा से प्राप्त मौ[illegible] अनुसार स्वीकार किए जाने हेतु सहमति प्रदान की।विपक्षी तहसीलदार नि[illegible] जवाब एवं अनुशंषा कर निवेदन किया कि मौजा केली के [illegible] में आ.न. 725 रकबा 0.84 हैक्ट. भूमि दर्ज रेकार्ड थी होकर श्री कैलाशचन्द्र पिता राधेश्याम 1/[illegible]वलाल मुत. भोलीराम 1/3 एंव राधेश्याम पिता बालमुकन्द [illegible]/3 कुलमी के नाम [illegible] रेकार्ड थी। उक्त आराजी का बंटावारी होकर 725 मी रकबा 0.27 श्री कैलाशचन्द्र पिता राधेश्याम के नाम, 2560 / 7 रकबा 0.27 श्री शिवलाल मुत. भोलीराम एंव 2561 / 725 रकबा 0.30

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2024.12.06 15:31:52 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेड़ा

श्री राधेश्याम पिता बालमुकन्द के हिस्से में आई। श्री कैलाशचन्द द्वारा अपनी आ.न.725 मी में से 0.02 हेक्टर रास्ते हेतु समर्पित की (नये नम्बर 2605/725) एंव शेष 0.25 आबादी प्रयोजनार्थ रूपान्तरण करवाई (नये नम्बर 725 मी) जमाबन्दी में इसी अनुसार अंकन किया गया परन्तु नक्शे में रास्ते हेतु समर्तिप भूमि 0.02 के नवीन नम्बर 725मी एंव एंव रूपान्तरित भूमि के नम्बर 2605/725 डाले गए जिससे जमाबन्दी में 725 रकबा 0.25 का नक्शा छोटा एंव 2605/725 रकबा 0.02 का नक्शा बड़ा होगया है जिससे सही किया जाना उचित है। अतः नवीन नक्शे में 725 के दो टुकड़े 725मी एंव 2605/725 को दुरस्त कर 725 की जगह 2605/725, एंव 2605/725 की जगह 725 किया जाना उचित है।

5. दोंनों पक्षों के अभिवचनों के आधार पर बहस सुनी गई । पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों एवं तहसीलदार निम्बाहेड़ा से प्राप्त जांच रिपोर्ट एवं संशोधन प्रस्ताव का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया गया एवं प्रार्थिया के विद्वान अधिवक्ता की बहस पर मनन किया गया।

6. उपर्युक्त तथ्यों के विश्लेषण से पूर्व सर्वप्रथम राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–136 का उद्धरण प्रासंगिक है। जो कि इस प्रकार है:–

> ***136. Correction of errors. - The Land Record Officer may, at any time, correct or cause to be corrected in the prescribed manner any clerical errors and any errors which the parties interested admit to have been made in the record of rights or register, or which a Revenue Officer may notice during the course of his inspection in any Register:***
>
> ***Provided that when any error is noticed by a Revenue Officer in any record of rights during the course of his inspection, no error shall be corrected unless a notice to show cause has been given to the parties***

एवं

> **<u>धारा 131 में मानचित्र तथा क्षेत्रमिति (फील्ड बुक) का संधारण (Maintenance)</u>** – सर्वेक्षण तथा अभिलेख कार्यवाहियों के समाप्त हो जाने के पश्चात् भू–अभिलेख अधिकारी द्वारा व राज्य सरकार द्वारा इस विषय में बनाए गए नियमों के अनुसार मानचित्र तथा फील्ड बुक रखी जाएगी वह प्रतिवर्ष या ऐसे अधिक लम्बे समयान्तर पर जो राज्य सरकार निर्धारित कर प्रत्येक गाँव या गाँव के भाग, भू–सम्पत्ति या खेत की सीमाओं के सब परिवर्तनों को उसमें लेखा लेगा तथा ऐसी गलतियों को जो ऐसे मानचित्र या फील्ड बुक में की गई बतलाई जावे, सही करेगा।

7. इस प्रकार राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–136 के अवलोकन से स्पष्ट है कि राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–136 के तहत प्रार्थना–पत्र अथवा स्वप्रेरणा से राजस्व रिकार्ड में हुई त्रुटियों को संक्षिप्त विचारण कर दुरूस्त किये जाने के प्रावधान [illegible] में प्रार्थियाद्वारा जमाबंदी में खातेदारी संबंधी इन्द्राज के प्रारूप तथा [illegible] के राजस्व इन्द्राज को कलमजन करने का अनुतोष बाबत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। उक्त प्रकार का अनुतोष प्रथम दृष्टया राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–136 के तहत आवश्यक होने पर दुरूस्त किया जा सकता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2024.12.06 15:31:52 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी,
निम्बाहेड़ा

8. दोनो पक्षो के अभिवचनो के आधार पर बहस उभयपक्ष सुनी गई पत्रावली का अवलोकन किया गया प्रार्थिया द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में प्रस्तुत दस्तावेज का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया गया एवं विद्वान अधिवक्ता की बहस पर मनन किया गया प्रार्थना पत्र में वर्णित आधारों एवं दस्तावेजों के आधार पर संक्षिप्त सार यह है कि मौजा केली पटवार हल्का केली में प्रार्थी श्री केलाशचन्द द्वारा अपनी आ.न.725 मी में से 0.02 हेक्टर रास्ते हेतु समर्पित की (नये नम्बर 2605/725) एंव शेष 0.25 आबादी प्रयोजनार्थ रूपान्तरण करवाई (नये नम्बर 725 मी) जमाबन्दी में इसी अनुसार अंकन किया गया परन्तु नक्शे में रास्ते हेतु समर्तिप भूमि 0.02 के नवीन नम्बर 725मी एंव रूपान्तरित भूमि के नम्बर 2605/725 डाले गए जिससे जमाबन्दी में 725 रकबा 0.25 का नक्शा छोटा एंव 2605/725 रकबा 0.02 का नक्शा बड़ा हो गया है जिससे सही किया जाना उचित प्रतीत होता है।

आदेश

तहसीलदार निम्बाहेड़ा से मय अभिशंषा प्राप्त रिपोर्ट अनुसार प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131,136 भू0 राजस्व अधिनियम स्वीकार किया जाकर तहसीलदार निम्बाहेडा को आदेशित किया जाता है कि ग्राम कैली पटवार हल्का कैली के आराजी नम्बर 725, 2605/725 में तहसीलदार निम्बाहेडा से प्राप्त मौका रिपोर्ट एवं प्रस्तावित नक्शा ट्रेस अनुसार तरमीम राजस्व रेकार्ड में किये जाने के आदेश दिए जाते है। प्रस्तावित नक्शा ट्रेस अनुसार अमल दरामद करे। नक्शा ट्रेस निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो दाखील दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 08.10.2024 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

(विकास पंचोली)
उपखंड अधिकारी
निम्बाहेडा

उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2024.12.06 15:31:52 IST
Reason: SelfAttested